आज्ञा
र्वाही

18/6/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प रलावता में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन लोक अदालत की भावना से किया गया। तहसीलदार कि० रेनवाल से नक्शा कुर्रेजात 2 प्रतियों में प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी उप०। प्रतिवादी से दुरभाष वार्ता कि गई जिसके अनुसार वादी ने पूर्व में ख० नं० 442 पर कब्जा कर रखा था। जब कि वादी की रजिस्ट्री ख० नं० 444 की है। उक्त प्रकार रजिस्ट्री के नम्बर एवं मौके पर कब्जे शुदा नम्बर में भिन्नता है। उक्त पर श्रीमान प्रतिवादी ने दुरभाष पर प्रतिनिधि का पक्ष बताया कि यदि रजिस्ट्री में अंकित ख० नं० 444 अनुसार ही मौके पर ख० नं० 444 में वादी का समायोजन कर दिया जावे तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। नक्शा कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। तह० कि० रेनवाल से प्राप्त नक्शा कुर्रेजात में अंकित किया की पक्षकारान की उप० में नक्शा कुर्रेजात तैयार किया गया है परन्तु प्रतिवादी ने हस्ताक्षर से मना कर दिया पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तहसीलदार कि० रेनवाल से प्राप्त नक्शे कुर्रेजात अनुसार आंशिक डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

HAD'18 रलावता
18/6/18

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
सांभर लेक (जयपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner